न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 33 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अर्जुनराम 2 रेवंताराम पिसरान टीकूराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर।		1 दीपाराम 2 तुलछाराम पिसरान आदूराम 3 नानगाराम 4 रामाराम पिसरान खूमाराम 5 पदमोदेवी पत्नी खूमाराम 6 अचलाराम पुत्र जोगाराम 7 नारणाराम 8 वालाराम पिसरान टीकूराम 9 मानीदेवी पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री नीम्बाराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 24/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 77.05 बीघा कुल रकबा 77.16 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व दस्तावेज के अनुसार अर्जुनराम रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम इन्द्राज होना था परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा बोलचाल का नाम त्रुटीवश प्रार्थीगण का नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम गलत इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम अर्जुनराम रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम है। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का नाम अंकन होने पर भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 77.05 बीघा कुल रकबा 77.16 बीघा भूमि में प्रार्थीगण अपना नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम के स्थान पर अर्जुनराम रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 77.05 बीघा कुल रकबा 77.16 बीघा भूमि में प्रार्थीगण अपना नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम के स्थान पर अर्जुनराम रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम शुद्ध करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 77.05 बीघा कुल रकबा 77.16 बीघा भूमि में प्रार्थीगण अपना नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम के स्थान पर अर्जुनराम रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1337 दिनांक 22.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 77.05 बीघा कुल रकबा 77.16 बीघा भूमि में टीकूराम के विधिक वारिशान नारणाराम अरजुनराम वालाराम रैवताराम चूनाराम पिसरान टीकूराम भानी पत्नी टीकूराम है। ग्राम बोला में नामान्तकरण संख्या 324 द्वारा नारणा वाला रामा चूना पिसरान टीकू भानी बेवा टीकू दर्ज किया गया जबकि ग्राम जायडू तहसील रामसर में नामान्तकरण संख्या 294 में वास्तविक खातेदार नारणा अरजन बाला रेवंता चूना पिसरान टीका भानी बेवा टीका दर्ज किया गया है। ग्राम बोला में नामान्तकरण दर्ज करते वक्त अर्जनराम का नाम छूट गया है जबकि रेंवताराम की जगह रामा दर्ज किया गया है। खातेदार चूनाराम की लगभग 25 वर्ष पूर्व कुंवारा फौत हो चुका है। अतः अर्जुनराम का नाम दर्ज किया जाना एवं रामा के स्थान पर रेंवताराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बोला में नामान्तकरण संख्या 324 द्वारा नारणा वाला रामा चूना पिसरान टीकू भानी बेवा टीकू दर्ज किया गया जबकि ग्राम जायडू तहसील रामसर में नामान्तकरण संख्या 294 में वास्तविक खातेदार नारणा अरजन बाला रेवंता चूना पिसरान टीका भानी बेवा टीका दर्ज किया गया है। ग्राम बोला में नामान्तकरण दर्ज करते वक्त अर्जनराम का नाम छूट गया है जबकि रेंवताराम की जगह रामा दर्ज किया गया है। खातेदार चूनाराम की लगभग 25 वर्ष पूर्व कुंवारा फौत हो चुका है। अतः अर्जुनराम का नाम दर्ज किया जाना एवं रामा के स्थान पर रेंवताराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.0890 हैक्टेयर खसरा संख्या 115 रकबा 12.504 हैक्टेयर कुल रकबा 12.5938 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण अपना नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम के स्थान पर अर्जुनराम रामा उर्फ रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 0.0890 हैक्टेयर खसरा संख्या 115 रकबा 12.504 हैक्टेयर कुल रकबा 12.5938 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम चूनाराम, रामाराम पिसरान टीकूराम के स्थान पर अर्जुनराम, रामाराम उर्फ रेवन्ताराम पिसरान टीकूराम दुरुस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24/06/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर